



526/1

दूरभाष- 2286709
2286710

नया योजना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4095/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक 05 फरवरी 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	360.08

1. G.O. No. 08/2016/2836/64-1-15-21 (I-16) (7000-37)/15-21-8-1-15-21-147.745

2. G.O. 11/2016/2848/64-1-15-83 (7000)/3/15-21-14-1-15 - I-16 (50)/162.355 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त/द्वितीय की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० रामपुर	वार्ड सं० 4 के मो० खटकाना में मंजूर भाई ड्राइवर के मकान से जावेद के मकान होते हुये शकील भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	197.745
2				वार्ड सं० 4 के मो० घटकान में रजा अली खों के मकान से शबू खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
3				वार्ड सं० 04 के मो० खटकान में नाला से हनीफ भाई के मकान इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
4				वार्ड सं० 4 मो० अल्ला अटठा नूर मुन्सीर वाली मस्जिद में चक्कन खों के मकान से शराफत हुसैन, मस्जिद, सज्जाद खों के मकान होते हुये सावे खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
5				वार्ड नं० 04 मो० अल्ला अटठा नूर मुन्सीर वाली मस्जिद में हामिद खों के मकान से कलवे अली खों, नन्हें खों, बबलू जमील के मकान होते हुये नाला तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
6				वार्ड सं० 4 के मो० खटकाना में करामत खों के मकान से उसमान खान के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
7				वार्ड सं० 4 के मो० खटकान में शबू खों के मकान से अमीर हसन, मकसूद अली के मकान होते हुये गददन खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
8				वार्ड सं० 4 में मो० तकिया फत्तेशाह कोतवालान में शाहनवाज खों के मकान से दिल्लन तांगे वाले के मकान तक एवं इकबाल हसन के मकान से मुन्ने खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	



526/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त/द्वितीय की धनराशि का प्रेषण
9				वार्ड सं० 5 के मो गंगापुर में बनवारी के मकान से एस०के कपूर, चन्द्रसेन समी सिन्हा, अरविन्द्र गौड व जसवन्त के मकान होते हुये ललित त्यागी, राजेन्द्र सक्सेना के मकान से डी०के० कम्बोज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
10				वार्ड नं० 9 के मो० राजदवारा में लईक के मकान से भूरा भाई के मकान तक, रतन लाल के मकान से शान्ति देवी, धर्मशाल तक, पप्पू की दुकान से चमन की दुकान तथा सहादत खों के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
11				वार्ड नं० 9 मो० सदर अस्पताल से भूरा खों के मकान से शाहिद के मकान होते हुये रईस भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
12				वार्ड नं० 9 के मो० चादर वाला बाग में जिला अस्पताल रोड के पास सैदा खों के मकान से अनिल व बंगाली बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
13				वार्ड नं० 9 के मो० चादर वाला बाग में जिला अस्पताल रोड के पास मस्जिद से हफीज अहमद के मकान तक व राशि मैम्बर अब्दुल रहमान, जवेद, दिलीप, अब्दुल वारी व अमीर अहमद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
14				वार्ड सं० 09 के मो० चादर वाला बाग में सीताराम के मकान से जमीर खों के मकान व सुरेश सिंह, गिरीश चन्द्र, रफी, विनोद, चौधरी, राजाराम, जुम्मा अहमद अली, एहसान अली आदि के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
15				वार्ड सं० 9 के मो० चादर वाला बाग में बबू के मकान से केदार सिंह व छोटी लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
16				वार्ड सं० 16 के मो० मिलन बिहार वाली गली में ट्रान्सफार्मर से अली कावाले के मकान होते हुए पीएस कुलौरा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
17				वार्ड नं० 16 के मो० मुरारी लाल के बाग के पास फूल भाई के मकान से वी०वी० शर्मा के क्लिनिक तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
18				वार्ड नं० 16 के मो० एकता बिहार मुरारी लाल के बाग के पास अमीर प्रिंटिंग प्रेस से विवेक पहल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
19				वार्ड नं० 16 के मो० गंगा पुर कालोनी में आई०डी०डी०आई बैंक के पास से जुबैर खा के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	



526/2

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त/द्वितीय की धनराशि का प्रेषण
20				वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में शिव मन्दिर के सामने रोशन के दुकान से प्रभावती स्कूल, रूप चन्द्र के मकान होते हुये रोशन लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
21				वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में राम किशोर के मकान से बड़े राम जी, मोहन लाल, खमानी राम, विनोद, रामकुमार प्रेम के मकान होते हुये चरन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
22				वार्ड नं० 16 के मो० गंगापुर में भावना लेडिज कार्निन से प्रभात अग्रवाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
23	रामपुर I-18/5	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घोसियानामें बन्ने भाई के मकान से संगीरन आपा के घर तक, मुन्ने भाई व रमेश भगत के मकान से होते हुये संजीव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड नाली निर्माण कार्य।	6.690
24	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घोसियाना में सलीम दूध वाले के मकान से निजाम भाई की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.745
25	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० चौक मोहम्मद शहीद मछली बाजार में कार्यालय हसन टाइम्स से मुमताज विला तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माया कार्य।	3.460
26	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० लेवर कार्लेनी ज्वाला नगर में हैदर की दुकान से मौलाना शफीकुर्रहमान एवं हसन रजा के मकान से होते हुये अमीरहसन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	11.930
27	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० कृष्णा बिहार कालोनी ज्वाला नगर में परवेज के मकान से परमानन्द सक्सेना के मकान होते हुये रीतू ब्यूटी पार्लर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.635
28	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० न्यू कृष्णा बिहार ज्वाला नगर सरदार बाबा सिंह के घर के सामने से सतीश भाटिया एवं बल्लू सिंह के घर से सरदार भूपेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.430
29	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर पूरन सिंह में मेंहदी हसन के मकान से मेंहदी हसन गरीब खां के मकान तक, मासिन, राहत जान के मकान होते हुये पेवर ब्लाक रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.315
30	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० कैथ का पेड में पीला तालाब रोड ट्रान्सफारमर से पक्के बाग की पुलिया तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.790
31	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० घेर नज्जू खां में समर इलेक्ट्रानिक दुकान से रामपुर मैरिज हाल तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.340
32	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में आस्था डेरी से संजय जैन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	10.185



5726/4

दस्तावेज- 2286709
2286710

नया बेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त/द्वितीय की धनराशि का प्रेषण
33	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में सजय जैन के मकान से सिमरन ट्रेडर्स तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.915
34	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में सिमरन ट्रेडर्स से एन०एच० 24 रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.030
35	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में दर्शन सिंह कन्धारी के मकान से पेट्रोल पम्प तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.955
36	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में अमृत सिंह के मकान से विनोद सिंह यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.175
37	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में स्टेशन रोड आटा चक्की से ओ०पी० गुप्ता के मकान होते हुये गुरुद्वारा तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.030
38	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	वी०पी० कालोनी में मस्जिद से आहूजा सन्स की तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.560
39	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में राधा रोड से डा० ए०के० शर्मा की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.665
40	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में डा० ए०के० शर्मा की दुकान से देव कलेक्शन तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.560
41	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में देव कलेक्शन से रवि स्वीट हाउस तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.810
42	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में राधा रोड से भजन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	2.955
43	रामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रामपुर	मो० वी०पी० कालोनी में नरुल्ला मेडिकल स्टोर से राजू भाई के मकान होते हुए पप्पू भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	12.160
	योग				360.08

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुप्रयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



526/5

दूरभाष- 2286709

2286710

नव काना कैंप, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूबा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि पूरी दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है। तथा द्वितीय किस्त की शेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसे अभिकरण द्वारा यथावत अवमुक्त कर दिया गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक